तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 131/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/253) बअनवान माया बनाम चूडसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

श्रीमती माया व अन्य

बनाम

चूडसिंह इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

आदेश

दिनांक 01 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 161/2012 अनवान चूड़सिंह उर्फ धूड़सिंह बनाम कालूसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के खरीद की हुई है तथा बाद खरीद के ही अपीलार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का जरिये पंजीबद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 131/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/253) बअनवान माया बनाम चूडसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दस्तावेज के जरिये हक प्राप्त किया है तथा पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना किसी तरह का कोई अधिकार प्रत्यर्थी सख्या 1 को उत्पन्न नही होता है। इस कारण भी अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये वादग्रस्त आराजी में हक, अधिकार व कब्जा प्राप्त किया गया है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। इस कारण खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार व काबिज होने के कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि पत्रावली जवाब में लम्बित चल रही थी, इसी दौरान पत्रावली को राजस्व अदालत केम्प में ले जाकर निस्तारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस कारण आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त किया गया, लेकिन उसके द्वारा कभी भी अपीलार्थीगण को सूचना नहीं दी गई तथा राजस्व अदालत कैम्प की भी सूचना अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई। अभी हाल ही में अपीलार्थीगण द्वारा के.सी.सी. हेतु जमाबन्दी की नकल ली गई तो उसमें स्थगन आदेश होना पाया गया, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तथा नकल हेतु दिनाक 01-07-2021 को आवेदन किया, जो नकल तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 131/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/253) बअनवान माया बनाम चूडसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होकर दिनाक 01-07-2021 को प्राप्त हुई, जिसे पढने पर प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 मई 2018 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को बिना सूचना दिये पत्राली को लोक अदालत केम्प खारा में रखकर निस्तारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणागुण पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलार्थीगण विवादग्रस्त आराजी खसरा न 336, 338 एवं 358 के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के रेकडेड सहखातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम मुख्त्यारनामा जो सब रजिस्ट्रार रतिया (पंजाब) में रजिस्टर्ड है, को कूटरचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करार देते हुए अपीलार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज (आम मुख्त्यारनामा) को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय के पास है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को सूचना दिये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 मई 2018 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलांट्स को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में 1/16 हिस्से का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर